निग0-3155/2018/शहडोल/भू-रा0 (28)

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा म0प्र0

1- शफी मोहम्मद पिता भोला मुसलमान उम्र 75 साल पेशा- मजदूरी

2- अशरफ मोहम्मद पिता भोला मुसलमान उम्र 70 साल पेशा- मजदूरी

दोनो निवासी ग्राम टांघर तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0

... निगरानीकर्ता गण

अधि0 श्री रमेश मिश्रा द्वारा पेश/23-05-18

बनाम

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1- हरदत्त पनिका

2- बैशाखू पनिका

3- इन्द्रपाल पनिका

4- कृष्णपाल पनिका

5- रामरती पनिका

6- दोनगी पनिका

7- गुडिया पनिका

8- राजनिया पनिका

9- सिल्लू पनिका
सभी पिता रामाधार पनिका

10- मु0 श्यामबाई पत्नी रामाधार पनिका सभी निवासी ग्राम टांघर तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0

11- सुखवा

12- रामेश्वर

13- राम कुमार

14- जमुना

15- राजभान

16- भागवत
सभी पिता सुखदेव तेली निवासी ग्राम कल्हारी तह0 ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0 ... गैर निगरानीकर्ता गण

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

निग. 3155/2018/शहडोल/भू.रा.

शफी मोहम्मद आदि विरूद्ध हरदत्त पनिका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–08–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रमेश मिश्रा को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 09.08.2018 को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र0क्र0 106/निग./2012–13 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण ने संहिता की धारा 170(ख) के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि को वापस किये जाने का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के समक्ष पेश किया। अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा धारा 170(ख) का आवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी ने कार्यवाही प्रारंभ करते हुये अपने आदेश में यह लेख किया कि अन्तरण वर्ष 1959–60 की खतौनी के आधार पर भूमि मंधारी पिता मनबहोर के नाम दर्ज है तथा दिनांक 19.05.1960 को सुखई पिता रमजरिया के नाम दर्ज है। तत्पश्चात नामांतरण पंजी क्रमांक 12 दिनांक 19.08.1978 को बुद्धा तेली पिता जुग्गा तेली के बजाय झूरी, सुखदेव पिता बुद्धा के नाम दर्ज हुआ है। उक्त प्रश्नाधीन भूमियों का नामांतरण अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.01.1946 के आधार पर भोला पिता अजीमुल्ला मुसलमान के द्वारा सुखई पिता रमजरिया पनिका से क्रय किया था। संहिता की धारा 165 (6) व 170 (ख) के बने प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी आदिवासी की भूमि अधिसूचित क्षेत्र में बिना कलेक्टर की अनुमति के गैर आदिवासी के	

1/3.

28/8/18

शर्की मोहम्मद आदि हरिदत्त पनिका

पक्ष में क्रय–विक्रय प्रतिबंधित है तथा ऐसा विक्रय संहिता बनने के पश्चात दिनांक 02.10.1959 से प्रभावशील माना जाकर ऐसे अन्तरण को शून्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है। इसी विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 170 (ख) का आवेदन निरस्त किया है।

4/ कलेक्टर शहडोल के आदेश का भी अवलोकन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1960 में सुखई के नाम आई, किन्तु सुखई ने प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1941 एवं 1946 में विक्रय होना बताया है। यहॉ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सुखई को वर्ष 1941 एवं 1946 में प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने का अधिकार था? कलेक्टर शहडोल ने इसी तथ्य की जांच कर पुनः आदेश पारित किये जाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी को दिये।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.03.1963 को सुखई के बजाय भोला मुसलमान के नाम नामांतरण दिनांक 01.01.1946 के विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किया गया है जबकि सुखई के नाम प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण दिनांक 19.05.1960 को हुआ है। स्पष्ट होता है कि वर्ष 1946 में उक्त प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी सुखई था ही नहीं । सुखई ने प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1946 में कैसे विक्रय की गई, यह स्पष्ट नहीं हुआ।

6/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ने WP-539/2017 श्री जया राठी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 में निम्नानुसार Observation दिया है।

'' The land was granted to the landless persond on lease by the State Government. The transfer of land leased to a landless persosn could be affected only after getting approval from the Collector. Since admittedly the approval from the Collector was not sought, such transation has been rightly found to be void as such transaction is in contravention of statutory provisons"

28/8/18

शफी मोहम्मद आदि वि. हरदत्त पनिका

अतः कलेक्टर शहडोल ने जो प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया है वह विधि अनुकूल है। इसी कारण अपर आयुक्त शहडोल ने कलेक्टर शहडोल के आदेश को उचित माना है।

3/3 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अग्राहय की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो।

28/8/18
(आर.के. जैन)
सदस्य